कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः एम0ई0–3/2022/1156 लखनऊः दिनांक 17 मई, 2022

राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर तथा कन्नौज में बी0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यकम की रिक्त सीटों पर प्रवेश के संबंध में समय–सारिणी

बी0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यकम की रिक्त 10 सीटों (राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर की 01 सीट तथा राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज की 09 सीट) पर काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटन/प्रवेश की समय–सारिणी निम्नवत् है:–

1	आनलाईन पंजीकरण की तिथि	दिनांक 18 मई, 2022 को अपराह्न 2:00 बजे से दिनांक 19 मई, 2022 को अपराह्न 2:00 बजे तक
2	पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट घोषित किये जाने की तिथि	दिनांक 20 मई, 2022
3	सीट आंवटन की तिथि	दिनांक 21 मई, 2022 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से
4	आवंटित कालेज में प्रवेश लेने की तिथि	आवंटन की तिथि को ही प्रवेश प्रकिया सम्पन्न होगी। (On Spot Admission)

काउंसिलिंग स्थल– चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ

- **बी0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यकम की उपरोक्त सीटों पर आवंटन हेतु केवल वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्होने नीट यू0जी0 2021 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।**
- **नीट यू0जी0 2021 के माध्यम से ऑल इण्डिया कोटा/स्टेट कोटा की एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0/अन्य पाठ्यकमों की सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थी उक्त पाठ्यकम में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।**
- कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थियों को वेबसाईट *https://upneet.gov.in* पर पंजीकरण शुल्क रू0 1000/– ऑन–लाईन जमा करते हुये पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- पंजीकृत अभ्यर्थियों को शैक्षिक/आरक्षण सम्बन्धी मूल अभिलेखों का सत्यापन काउंसिलिंग स्थल चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कराना अनिवार्य होगा।
- मूल शैक्षिक अभिलेख न होने की दशा में अभ्यर्थी काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे।
- अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि (Security Money) रू0 10,000/– का बैंक द्वारा निर्गत **सी0टी0एस0** बैक ड्राफ्ट जो "**महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (*Director General, Medical Education & Training, U.P.* payable at Lucknow)** के पक्ष मे देय होगा, अभिलेखों के सत्यापन के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
- अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षिक शुल्क (Tution Fee) रू0 30,000/– का बैंक द्वारा निर्गत **सी0टी0एस0** बैक ड्राफ्ट जो "**महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (*Director General, Medical Education & Training, U.P.* payable at Lucknow)** के पक्ष मे देय होगा, अन्यथा प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्प पर आवंटन होने की दशा में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने की दशा में धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी।
- शेष शर्तें यू0पी0 नीट यू0जी0–2021 हेतु जारी शासनादेश एवं ब्रोशर के अनुसार यथावत् रहेंगी। यू0पी0 नीट यू0जी0–2021 के ब्रोशर का अर्हता सम्बन्धी विवरण **संलग्नक–1** के रूप में संलग्न है। अभ्यर्थी अपनी अर्हता का परीक्षण स्वयं करना सुनिश्चित करें।

-

- आवंटन/प्रवेश की कार्यवाही सीट उपलब्ध रहने तक ही की जाएगी। रिक्त सीटों का विवरण **संलग्नक–2** के रूप में संलग्न है।
- महत्वपूर्ण सूचनायें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट ***https://upneet.gov.in*** **&** ***www.dgme.up.gov.in*** पर देखी जा सकती है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

महानिदेशक।

(संशोधन-2)

UPNEET - 2021

UP COUNSELING

Leftover seat chart

f t g+ in

Institute Name	Course Name	UROP	URPH	BCOP	BCPH	SCOP	SCPH	STOP	STPH	EWOP	EWPH
(003)Baba Raghavdas Medial College, Gorakhpur	(BN)B.Sc. (Nursing)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(005)Govt. Medical College, Kannauj	(BN)B.Sc. (Nursing)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(संलग्नक-1)

3. अर्हतायें(Eligibility)

(1) राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों संस्थानो/अल्पसंख्यक संस्थानो में प्रवेश हेतु अर्हतायें (Eligibility):-

- ऐसे छात्र जिन्होंने नीट यू0 जी0 2021 की परीक्षा में प्रतिभाग किया हो, नीट उत्तीर्ण किया हो तथा निर्धारित आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से एनआईसी की वेबसाइट https://upneet.gov.in पर पंजीकरण कराया हो, ही काउंसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में वेबसाइट द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन के क्रम में प्राप्त प्रिंट आउट अनुमन्य होगा।
- प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजो/विश्वविद्यालयो/संस्थान/डेण्टल कालेजो में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हों, उनके लिए डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा। शेष अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय निर्धारित किये गये प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ''डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण-पत्र'' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा।

नोट-

नीट यू0 पी0 यू0 जी0-2021 में डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण-पत्र हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-157/तीन-2003-77(11)/83, दिनांक 18.02.2003 में जो प्रारूप निर्धारित किया गया है, उसी पर डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ब्रोशर में इस हेतु अलग से कोई प्रारूप टंकित नहीं किया जाएगा। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा डोमीसाइल/सामान्य निवास संबंधी शासनादेश दिनांक 18.02.2003 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने संबंधी व्यवस्था को नीट-2021 व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाएगा तथा इस संबंध में व्यापक प्रसार वाले राष्ट्रीय व स्थानीय हिन्दी तथा अंग्रेजी समाचार-पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित कराया जाएगा।